



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112025-267723
CG-MH-E-17112025-267723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 739]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(मानव संपदा प्रबंधन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 17 नवंबर, 2025

फा. सं. के. का.: मा. सं. प्र.: से. ला. वि.: 2025-26 : 621(ई).—बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र क्रमांक 4/2/1/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसार, 1 नवम्बर, 2022 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक की गई अथवा न की गई कार्यवाही को छोड़कर, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, निम्नलिखित विनियमों को, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुनः संशोधन करने के लिए है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएंगे।

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, खंड (डब्ल्यू) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(डब्ल्यूए) 'त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जो —

(ए) 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में था;

(बी) 1 अप्रैल, 2010 से पहले बैंक में शामिल हुआ था;

(सी) 26 अप्रैल, 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवाओं से त्यागपत्र दे चुका है; और

(डी) बैंक की सेवा में रहते हुए पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अन्यथा पात्र था।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 में, उपविनियम (14) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(15) वह व्यक्ति जो विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित 'त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी' की परिभाषा में आता है तथा जिसने अपने त्यागपत्र के समय या उसके पश्चात् बैंक से प्राप्त भविष्य निधि में बैंक के समस्त अंशदान (तथा उस पर संचित ब्याज सहित) की पूर्ण राशि बैंक को लौटाने पर सहमति दी है, और बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार समय-सीमा के भीतर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 22 के उपविनियम (1) में, उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित और उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी, जो विनियम 3 के उपविनियम (15) में निहित शर्तों को भी पूरा करता हो, उसका त्यागपत्र, पूर्व सेवा की क्षतिपूर्ति का कारण नहीं बनेगा।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 29 में —

(i) उपविनियम (1) में, तीसरे उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी, जो विनियम 3 के उपविनियम (15) में वर्णित शर्तों को पूरा करता हो, पेंशन के लिए पात्र होगा बशर्ते उसने ऐसी पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।"

(ii) उपविनियम (5) में, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी ऐसी पात्रता सेवा की वृद्धि के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।"

6. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (जी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(एच) ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो अंशकालिक कर्मचारी नहीं हैं और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ है, प्रति माह पाँच हजार पचहत्तर रुपये न्यूनतम पेंशन राशि होगी. अंशकालिक कर्मचारियों के लिए, जो 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, न्यूनतम पेंशन राशि इस प्रकार होगी: 1/3 वेतनमान लेने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए प्रति माह एक हजार सात सौ रुपये। 1/2 वेतनमान लेने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए प्रति माह दो हजार पाँच सौ सैंतालीस रुपये। 3/4 वेतनमान लेने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए प्रति माह तीन हजार आठ सौ बीस रुपये।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 39 के उपविनियम (1) के खंड (c) में, उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व मृतक कर्मचारी का परिवार भी पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा, बशर्ते कि उक्त त्यागपत्र से सेवानिवृत्त मृतक भूतपूर्व कर्मचारी ने विनियम 29 के उपविनियम (1) के अंतर्गत बैंक में आवश्यक पात्रता सेवा पूरी की हो, तथा यह भी शर्त है कि त्यागपत्र से सेवानिवृत्त मृतक भूतपूर्व कर्मचारी (अपने जीवनकाल में) अथवा उसका पारिवारिक सदस्य बैंक को त्यागपत्र के समय या उसके पश्चात् प्राप्त भविष्य निधि में बैंक के समस्त अंशदान (तथा उस पर संचित व्याज सहित) की पूरी राशि लौटाने पर सहमत हुआ हो तथा बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया हो।"

8. उक्त विनियमों के विनियम 40 के उपविनियम (1) में -

(i) खंड (बी) में, प्रथम उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि पुत्र अथवा पुत्री (जिसमें विधवा या तलाकशुदा भी सम्मिलित है) को देय पारिवारिक पेंशन उस स्थिति में बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी, जब पात्र पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी या निजी क्षेत्र के रोजगार अथवा स्वरोजगार आदि से मासिक आय अठारह हजार रुपए से अधिक होने लगे।"

(ii) खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन उस स्थिति में बंद कर दी जाएगी या देय नहीं होगी, जब माता-पिता में से किसी एक की या दोनों की संयुक्त मासिक आय, जो सरकारी या निजी क्षेत्र के रोजगार अथवा स्वरोजगार आदि से प्राप्त होती हो, अठारह हजार रुपए से अधिक हो।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 41 के उपविनियम (1) में, उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि विनियम 2 के खंड (डब्ल्यूए) में परिभाषित तथा विनियम 3 के उपविनियम (15) में निहित शर्तों का पालन करने वाला त्यागपत्र से सेवानिवृत्त भूतपूर्व कर्मचारी अपनी पेंशन के कम्प्यूटेशन का पात्र नहीं होगा।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 55 में, "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट-II के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परिशिष्ट-II"

(विनियम 37 देखें 37)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी:

- (1) उन कर्मचारियों के मामले में, जो कर्मचारी संवर्ग में थे और जिन्होंने 1 जनवरी, 1986 के बाद किंतु 1 नवम्बर, 1992 के पहले सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, तथा उन कर्मचारियों के मामले में, जो अधिकारी संवर्ग में थे और जिन्होंने 1 जनवरी, 1986 के बाद किंतु 1 जुलाई, 1993 के पहले सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, महंगाई राहत का भुगतान प्रत्येक

वृद्धि के लिए किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगा, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960 = 100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 600 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दिए गए तरीके से की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र सं	पेंशन की मूल राशि (प्रति माह)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. .1250 तक	0.67 प्रतिशत
2.	रु. 1251 से रु. 2000	₹1250 पर 0.67 प्रतिशत तथा ₹1250 से अधिक मूल पेंशन की शेष राशि पर 0.55 प्रतिशत।
3.	रु. 2001 से रु. 2130	₹1250 पर 0.67 प्रतिशत, ₹2000 और ₹1250 के बीच के अंतर पर 0.55 प्रतिशत, तथा ₹2000 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.33 प्रतिशत।
4.	रु. 2130 से अधिक	₹1250 पर 0.67 प्रतिशत, ₹2000 और ₹1250 के बीच के अंतर पर 0.55 प्रतिशत, ₹2130 और ₹2000 के बीच के अंतर पर 0.33 प्रतिशत तथा ₹2130 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.17 प्रतिशत।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, औद्योगिक श्रमिकों हेतु श्रृंखला 1960 = 100 आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 600 अंकों से अधिक प्रत्येक स्लैब पर महंगाई राहत 0.67 प्रतिशत की समान दर से देय होगी।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, ऊपर दी गई तालिका में निर्धारित महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुग्रह राशि भी देय होगी।

सारणी

क्र. सं.	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु 1250/- तक	रु 800/- प्रति माह
2.	रु. 1251/- से रु. 2000/- तक	रु. 450/- प्रति माह

(2) उन कर्मचारियों के मामले में, जो कर्मचारी संवर्ग में हैं और जिन्होंने 1 नवम्बर, 1992 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, तथा उन कर्मचारियों के मामले में, जो अधिकारी संवर्ग में हैं और जिन्होंने 1 जुलाई, 1993 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, महंगाई राहत का भुगतान प्रत्येक वृद्धि के लिए किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगा, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960 = 100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1148 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या

गिरावट के लिए। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दिए गए तरीके से की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र सं	पेंशन की मूल राशि (प्रति माह)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 2400 तक	0.35 प्रतिशत
2.	रु. 2401 से रु. 3850	₹2400 पर 0.35 प्रतिशत तथा ₹ 2400 से अधिक मूल पेंशन की शेष राशि पर 0.29 प्रतिशत।
3.	रु. 3851 से रु. 4100	₹2400 पर 0.35 प्रतिशत, ₹3850 और ₹2400 के बीच के अंतर पर 0.29 प्रतिशत, तथा ₹3850 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.17 प्रतिशत।
4.	रु. 4100 से अधिक	₹2400 पर 0.35 प्रतिशत, ₹3850 और ₹2400 के बीच के अंतर पर 0.29 प्रतिशत, ₹4100 और ₹3850 के बीच के अंतर पर 0.17 प्रतिशत तथा ₹4100 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.09 प्रतिशत।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, औद्योगिक श्रमिकों हेतु श्रृंखला 1960 = 100 आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1148 अंकों से अधिक प्रत्येक स्लैब पर महंगाई राहत 0.35 प्रतिशत की समान दर से देय होगी।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, ऊपर दी गई तालिका में निर्धारित महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुग्रह राशि भी देय होगी।

सारणी

क्र संख्या .	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु 2400/- तक	रु 800/- प्रति माह
2.	रु. 2401 /- से रु. 3850/- तक	रु. 450/- प्रति माह

(3) उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने 1 अप्रैल, 1998 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, महंगाई राहत का भुगतान प्रत्येक वृद्धि के लिए किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगा, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960 = 100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1616 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दिए गए तरीके से की जाएगी, अर्थात्

सारणी

क्र सं	पेंशन की मूल राशि (प्रति माह)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 3380 तक	0.25 प्रतिशत
2.	रु. 3381 से रु. 5420	₹3380 पर 0.25 प्रतिशत तथा ₹ 3380 से अधिक मूल पेंशन की शेष राशि पर 0.21 प्रतिशत।
3.	रु. 5421 से रु. 5770	₹3380 पर 0.25 प्रतिशत, ₹5420 और ₹3380 के बीच के अंतर पर 0.21 प्रतिशत, तथा ₹5420 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.12 प्रतिशत।
4.	रु. 5770 से अधिक	₹3380 पर 0.25 प्रतिशत, ₹5420 और ₹3380 के बीच के अंतर पर 0.21 प्रतिशत, ₹5770 और ₹5420 के बीच के अंतर पर 0.12 प्रतिशत तथा ₹5770 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.06 प्रतिशत।

वर्शते कि 1 मई, 2005 को या उसके बाद, उन कर्मचारियों के मामले में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद लेकिन 31 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960 = 100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1684 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तालिका में दिए गए तरीके से की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र सं	पेंशन की मूल राशि (प्रति माह)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
1.	रु. 3550 तक	0.24 प्रतिशत
2.	रु. 3551 से रु. 5650	₹3550 पर 0.24 प्रतिशत तथा ₹ 3550 से अधिक मूल पेंशन की शेष राशि पर 0.20 प्रतिशत।
3.	रु. 5651 से रु. 6010	₹3550 पर 0.24 प्रतिशत, ₹5650 और ₹3550 के बीच के अंतर पर 0.20 प्रतिशत, तथा ₹5650 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.12 प्रतिशत।
4.	रु. 6010 से अधिक	₹3550 पर 0.24 प्रतिशत, ₹5650 और ₹3550 के बीच के अंतर पर 0.20 प्रतिशत, ₹6010 और ₹5650 के बीच के अंतर पर 0.12 प्रतिशत तथा ₹6010 से अधिक मूल पेंशन राशि पर 0.06 प्रतिशत।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960 = 100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 1684 अंकों से अधिक प्रत्येक स्लैब पर महंगाई राहत 0.24 प्रतिशत की समान दर से देय होगी।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2023 से, ऊपर दी गई तालिका में निर्धारित महंगाई राहत के अतिरिक्त, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुग्रह राशि भी देय होगी।

सारणी

क्र संख्या	मूल पेंशन	अनुग्रह राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु 3550/- तक	रु 800/- प्रति माह
2.	रु. 3551 /- से रु. 5650/- तक	रु. 450/- प्रति माह

- (4) उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960=100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से, उन कर्मचारियों के संबंध में, जो 1 नवम्बर, 2002 के बाद किंतु 30 अप्रैल, 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड के अनुसार देय होगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960=100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960=100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 4440 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए, 1960=100 श्रृंखला आधार पर अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 6352 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, मूल पेंशन पर महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016=100 शृंखला आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 123.03 अंकों से ऊपर प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर 1 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(5) महंगाई राहत 1 फरवरी से शुरू होने वाले और 31 जुलाई को समाप्त होने वाले छमाही के लिए पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीनों के लिए प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के त्रैमासिक औसत पर देय होगी और 1 अगस्त से शुरू होने वाले और 31 जनवरी को समाप्त होने वाले छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून महीनों के लिए प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के त्रैमासिक औसत पर देय होगी।

(6) पारिवारिक पेंशन, अक्षमता पेंशन और अनुकंपा भत्ता के मामले में, महंगाई राहत का भुगतान ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाएगा।

(7) महंगाई राहत का भुगतान पेंशन के कम्प्यूटेशन (एकमुश्त राशि लेने) के बाद भी पूरी मूल पेंशन पर किया जाएगा।

(8) अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत देय नहीं है।

(9) ऐसे पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है, लेकिन मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है, उन्हें न्यूनतम पेंशन पर लागू होने वाली महंगाई राहत प्राप्त होगी।

12. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट-III के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परिशिष्ट-III

(विनियमन 39 देखें)

1 अप्रैल, 2021 को और से, पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें निम्नानुसार होंगी:

(ए) अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के संबंध में, जहां कर्मचारी कामगार संवर्ग में था और 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था या जहां कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में था और 1 जुलाई, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.1500 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 375 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.1501 से रु.3000 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 450 रुपये प्रति माह होगा।

3.	रु.3000 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्ते का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 600 रुपये प्रति माह होगा।
----	-----------------	--

(बी) अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के संबंध में, जहां कर्मचारी कामगार संवर्ग में था और 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था या जहां कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में था और 1 जुलाई, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुआ था:—

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.2870 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 720 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.2871 से रु.5740 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 860 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.5740 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1150 रुपये प्रति माह होगा।

(सी) 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:—

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.4040 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई

		भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1015 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.4041 से रु.8080 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1212 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.8080 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1616 रुपये प्रति माह होगा।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा उन कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद लेकिन 31 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, परिवार पेंशन की सामान्य दर निम्नानुसार होगी:—

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.4210 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1056 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.4211 से रु.8420 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1262 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.8420 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1687 रुपये प्रति माह होगा।

(डी) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक परिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.5720 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1435 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.5721 से रु.11,440 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1715 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.11,440 अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 2292 रुपये प्रति माह होगा।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवम्बर, 2002 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, पारिवारिक पेंशन की सामान्य दरें इस खंड के अनुसार होंगी।

(ई) 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक परिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.7090 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 1779 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.7091 से रु.14,180 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:

		बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 2186 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.14,180 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 2841 रुपये प्रति माह होगा।

(एफ) 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.11,100 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 2785 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.11,101 से रु. 22,200 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 3422 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.22,200 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 4448 रुपये प्रति माह होगा।

(जी) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.15,880 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:

		बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 3985 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.15,881 से रु.31,760 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 4900 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.31,760 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 6365 रुपये प्रति माह होगा।

(एच) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:-

क्र. सं.	मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रु.20,220 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 5075 रुपये प्रति माह होगा।
2.	रु.20,221 से रु.40,440 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 6240 रुपये प्रति माह होगा।
3.	रु.40,440 से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी और भत्तों का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग न्यूनतम 8105 रुपये प्रति माह होगा।

पाँपी शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक-मा.सं.
[विज्ञापन-III/4/असा./475/2025-26]

नोट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या CO/PRS/PENSION/95-96/278, दिनांक 29 सितंबर, 1995 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 290(ई), दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है, वे समझौते के लिए सहमत शर्तों और संयुक्त नोटों के अनुसार हैं जो भारतीय बैंकों के संघ, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष जनादेश के आधार पर प्रतिनिधित्व करते हुए, और बैंक कर्मियों की शीर्ष-स्तरीय श्रमिक यूनियनों एवं अधिकारियों की एसोसिएशनों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CENTRAL BANK OF INDIA (Human Capital Management Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th November, 2025

F. No. CO: HCM: RBD: 2025-26:621(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—

“(wa) ‘resigned former employee’ means an employee, who –

 - (a) was in the services of the Bank on or after the 1st January, 1986;
 - (b) joined the Bank before the 1st April, 2010;
 - (c) has resigned from the services of the Bank on or before the 26th April, 2010; and
 - (d) was otherwise eligible to join the pension scheme while in service of the Bank;”.
3. In regulation 3 of the said regulations, after sub-regulation (14), the following shall be inserted, namely:—

“(15) qualifies the definition of resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2 and has agreed to refund to the Bank the entire Banks' contribution to Provident Fund (along with accumulated interest thereon) received by him at the time of resignation or later, from the Bank and has given an undertaking as per the draft provided by the Bank within the time as stipulated by the Bank.”.
4. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that resignation by a resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2, and who also conforms to the conditions contained in sub-regulation (15) of regulation 3, shall not entail forfeiture of the past service.”.
5. In regulation 29 of the said regulations, –
 - (i) in sub-regulation (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that a resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 and conforming to the conditions specified in sub-regulation (15) of regulation 3, shall also be entitled for pension provided he has completed such qualifying service.”;

(ii) in sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the resigned former employee defined in clause (wa) of regulation 2 shall not be eligible for the benefit of increase of such qualifying service.”.

6. In regulation 36 of the said regulations, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: –

“(h) rupees five thousand and seventy-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st November, 2022, rupees one thousand seven hundred per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand five hundred and forty seven per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees three thousand eight hundred and twenty per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st November, 2022.”.

7. In regulation 39 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided further that family of a deceased resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 shall also be eligible for family pension provided that the deceased resigned former employee has completed required qualifying service in the Bank under sub-regulation (1) of regulation 29, subject to the condition that the deceased resigned former employee (before his death) or family member has agreed to refund to the Bank the entire Bank’s contribution to Provident Fund (along with accumulated interest thereon) received at the time of resignation or later, from the Bank and has given an undertaking as per the draft provided by the Bank within the time as stipulated by the Bank.”.

8. In regulation 40 of the said regulations, in sub-regulation (1),—

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees eighteen thousand per month from employment in Government or Private Sector or self-employment etc.”;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: –

“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible, if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private Sector or self-employment, etc. exceeds rupees eighteen thousand per month.”.

9. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a resigned former employee as defined in clause (wa) of regulation 2 and who conforms to conditions contained in sub-regulation (15) of regulation 3, shall not be eligible for commutation of his pension.”.

10. In regulation 55 of the said regulations, for the words “The Chairman and Managing Director”, the words “The Managing Director and Chief Executive Officer” shall be substituted.

11. In the said regulations, for Appendix – II, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“Appendix-II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under:

- (1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st January, 1986, but before the 1st November, 1992, and in the case of employees, who were in the officers’ cadre and who retired on or after the 1st January, 1986, but before the 1st July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the

All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.1250	0.67 per cent.
2.	Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. of basic pension in excess of Rs.1250
3.	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent. of basic pension in excess of Rs.2000
4.	Above Rs.2130	0.67 per cent. of Rs.1250 plus 0.55 per cent. the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent. of the difference between Rs.2130 and Rs.2000 plus 0.17 per cent. of basic pension in excess of Rs.2130:

Provided that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.67 per cent. per slab over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

Table

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 1250/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 1251/- to Rs 2000/-	Rs 450/- per month

- (2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st November, 1992, and in the case of employees who are in the officers' cadre, and who retire on or after the 1st July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

Table

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.2400	0.35 per cent.
2.	Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent. of Rs.2400 plus 0.29 per cent. of basic pension in excess of Rs.2400
3.	Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent. of Rs.2400 plus 0.29 per cent. of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent. of basic pension in excess of Rs.3850
4.	above Rs.4100	0.35 per cent. of Rs.2400 plus 0.29 per cent. of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent. of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent. of basic pension in excess of Rs.4100:

Provided that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.35 per cent. per slab over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

Table

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 2400/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 2401/- to Rs 3850/-	Rs 450/- per month

- (3) In the case of employees who retire on or after the 1st April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

Table

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.3380	0.25 per cent.
2.	Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent. of Rs.3380 plus 0.21 per cent. basic pension in excess of Rs.3380
3.	Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent. of Rs.3380 plus 0.21 per cent. of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent. of basic pension in excess of Rs.5420
4.	Above Rs.5770	0.25 per cent. of Rs.3380 plus 0.21 per cent. of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent. of the difference between Rs.5770 and Rs.5420 plus 0.06 per cent. of basic pension in excess of Rs.5770:

Provided that on or from the 1st May, 2005 in the case of employees, who retire on or after the 1st April 1998 but on or before the 31st October, 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner provided in the following Table, namely:—

Table

Sl. No.	Scale of basic pension per month	Rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.3550	0.24 per cent.
2.	Rs.3551 to Rs.5650	0.24 per cent. of Rs.3550 plus 0.20 per cent. basic pension in excess of Rs.3550
3.	Rs.5651 to Rs.6010	0.24 per cent. of Rs.3550 plus 0.20 per cent. of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 of basic pension in excess of Rs.5650
4.	Above Rs.6010	0.24 per cent. of Rs.3550 plus 0.20 per cent. of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent. of the difference between Rs.6010 and Rs.5650 plus 0.06 per cent. of basic pension in excess of Rs.6010:

Provided further that on and from the 1st October, 2023, dearness relief shall be payable at a uniform rate of 0.24 per cent. per slab over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100:

Provided also that on and from the 1st October, 2023, in addition to the dearness relief provided in the Table mentioned above, ex-gratia amount as specified in the Table below shall also be payable.

Table

Sl. No.	Basic pension	Ex-gratia amount
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs 3550/-	Rs 800/- per month
2.	From Rs 3551/- to Rs 5650/-	Rs 450/- per month

- (4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2002 but on or before the 30th April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st November, 2022, dearness relief shall be payable at 1 per cent. per percentage point of Index on the Basic pension for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers Base 2016=100.

- (5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st February and ending with the 31st July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st August and ending with the 31st January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
- (6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
- (7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
- (8) Dearness relief is not payable on additional pension.
- (9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.

12. In the said regulations, for Appendix-III, the following Appendix shall be substituted, namely: —

“Appendix-III

(See regulation 39)

On and from the 1st April, 2021, the ordinary rates of family pension shall be as under:

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before the 1st July, 1993:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.1500	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.375 per month.
2.	Rs.1501 to Rs.3000	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.450 per month.
3.	Above Rs.3000	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.600 per month.

- (b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after the 1st July, 1993:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.2870	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
2.	Rs.2871 to Rs.5740	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.

3.	Above Rs.5740	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month.
----	---------------	---

- (c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st April, 1998:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.4040	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1015 per month.
2.	Rs.4041 to Rs.8080	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1212 per month.
3.	Above Rs.8080	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1616 per month:

Provided that on and from the 1st May, 2005 in respect of the employees (both officers and workmen), other than part time employees, who retired on or after the 1st April, 1998 but on or before the 31st October, 2002, the ordinary rate of family pension shall be as under:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Up to Rs.4210	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1056 per month.
2.	Rs.4211 to Rs.8420	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1262 per month.
3.	Above Rs.8420	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1687 per month.

- (d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st May, 2005:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.5720	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum Rs.1435 per month.
2.	Rs.5721 to Rs.11,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1715 per month.
3.	Above Rs.11,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2292/- per month:

Provided that on and from the 1st May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st November 2002 but on or before the 30th April, 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

- (e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2007:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.7090	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1779 per month.
2.	Rs.7091 Rs.14,180	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.2186 per month.
3.	Above Rs.14,180	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2841 per month.

- (f) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2012:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.11,100	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2785 per month.
2.	Rs.11,101 Rs. 22,200	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.3422 per month.
3.	Above Rs.22,200	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.4448 per month.

- (g) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2017:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
2.	Rs.15,881 Rs.31,760	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
3.	Above Rs.31,760	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month.

- (h) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st November, 2022:—

Sl. No.	Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)	(3)
1.	Upto Rs.20,220	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension:

		Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.5075 per month.
2.	Rs.20,221 to Rs.40,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.6240 per month.
3.	Above Rs.40,440	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.8105 per month.”.

POPPY SHARMA, CHIEF GENERAL MANAGER-HR

[ADVT.-III/4/Exty./475/2025-26]

Note: The Central Bank of India (Employees’) Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette of India, Part III, section 4 *vide* notification number CO/PRS/PENSION/95-96/278, dated the 29th September, 1995 and was last amended *vide* notification number 290(E), dated the 28th June, 2024.

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks’ Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen Unions and Officers’ Associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.